



## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

सन्दर्भ:

समुद्री प्रदूषण + प्लास्टिक प्रदूषण

- 25 नवम्बर से कोरिया गणराज्य के बसान में 170 से ज्यादा देश प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि तैयार करने के उद्देश्य से चर्चा में शामिल होने के लिए एकत्रित होंगे, जिसमें समुद्री प्रदूषण भी शामिल है।



स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस



## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### सन्दर्भ:

- यह 2022 के बाद से वार्ता का पाँचवाँ और अंतिम दौर है, जब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने 2024 के अंत तक ऐसी संधि बनाने का संकल्प लिया था।



## प्लास्टिक : एक वैश्विक समस्या

- अपने अनुकूलनीय गुणों और बहुमुखी उपयोग के कारण, प्लास्टिक मनुष्यों के लिए लगभग अपरिहार्य हो गया है। परिणामस्वरूप, हाल के दशकों में दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन आसमान छू गया है।





# प्लास्टिक : एक वैश्विक समस्या

## सम्बन्धी आंकड़े

- प्लास्टिक का वार्षिक वैश्विक उत्पादन वर्ष 2000 में 234 मिलियन टन (एमटी) से दोगुना होकर वर्ष 2019 में 460 मीट्रिक टन हो गया। इसका लगभग आधा उत्पादन एशिया में हुआ, इसके बाद उत्तरी अमेरिका (19%) और यूरोप (15%) का स्थान रहा।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन 700 मीट्रिक टन तक पहुँचने की उम्मीद है।



# प्लास्टिक : एक वैश्विक समस्या

## सम्बन्धी आंकड़े

- द लैंसेट में प्रकाशित 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, स्थिति एक संकट में बदल गई है, क्योंकि प्लास्टिक सामग्री को विघटित होने में 20 से 500 साल लगते हैं, और आज तक 10% से भी कम का पुनर्चक्रण किया गया है।

20-500 साल





# प्लास्टिक : एक वैश्विक समस्या

## पर्यावरण पर दुष्प्रभाव

- प्रत्येक वर्ष, लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, यह आँकड़ा 2024 से 2050 तक 62% बढ़ने का अनुमान है।
- इस प्लास्टिक कचरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यावरण में, विशेष रूप से नदियों और महासागरों में चला जाता है, जहाँ यह माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक नामक छोटे कणों में विघटित हो जाता है।



# प्लास्टिक : एक वैश्विक समस्या

## पर्यावरण पर दुष्प्रभाव



- इस घटना का पर्यावरण और जीवित जीवों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री, मीठे पानी और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाली प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करता है।

2024-2050  
62% कचरा

जर्म दुध

UNEP →

तंत्रिका तंत्र





## प्लास्टिक : एक वैश्विक समस्या

### मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को प्रस्तुत शोध ने संकेत दिया है कि प्लास्टिक में पाए जाने वाले रसायनों के संपर्क में आने से अंतःस्रावी व्यवधान और कैंसर, मधुमेह, प्रजनन संबंधी विकार और तंत्रिका संबंधी विकास संबंधी हानि सहित कई प्रकार की मानव स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।





# प्लास्टिक : एक वैश्विक समस्या

## जलवायु परिवर्तन में भूमिका

- वर्ष 2020 में, प्लास्टिक का वैश्विक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 3.6% योगदान रहा, जिसमें से 90% मापनीय उत्सर्जन प्लास्टिक के उत्पादन से उत्पन्न हुआ, जो अपने प्राथमिक कच्चे माल के रूप में जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है, शेष 10% उत्सर्जन प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और उपचार के दौरान उत्पन्न हुआ।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यदि वर्तमान रुझान जारी रहता है, तो वर्ष 2050 तक प्लास्टिक उत्पादन से उत्सर्जन 20% बढ़ सकता है।

यही पैथन







## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### प्लास्टिक और भारत


- सितंबर में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत दुनिया के प्लास्टिक प्रदूषण के पांचवें हिस्से के लिए जिम्मेदार है।
- इस अध्ययन के अनुसार, भारत वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में 20% योगदान देता है, जिसका कुल उत्सर्जन 9.3 मिलियन टन है, जो अन्य देशों: नाइजीरिया (3.5 मिलियन टन), इंडोनेशिया (3.4 मिलियन टन) और चीन (2.8 मिलियन टन) की तुलना में काफी अधिक है।

5/11/2

अंतरिक्ष कचरे

## वैश्विक प्लास्टिक संधि के मुख्य बिंदु :

map



### उद्देश्य

प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव को संबोधित करना।

### सहयोग

गरीब देशों को प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद करने के लिए धनी देशों से समर्थन को प्रोत्साहित करना।

### विनियम

कुछ प्लास्टिक और रसायनों पर प्रतिबंध लगाना; बाइंडिंग रीसाइक्लिंग और रीसाइकिल की गई सामग्री के लक्ष्य निर्धारित करना।

### रासायनिक परीक्षण

सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक के परीक्षण की आवश्यकता।





## वैश्विक प्लास्टिक संधि के मुख्य बिंदु :

### कर्मचारी समर्थन

प्लास्टिक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक उचित संक्रमण सुनिश्चित करना, विशेष रूप से विकासशील देशों में।

### उत्तरदायित्व


निरंतर सुधार को आगे बढ़ाने के लिए प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करना।



## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### संधि के समक्ष चुनौतियाँ

- सर्वसम्मत का अभाव: नवंबर 2022 में उरुग्वे में प्रारंभिक चर्चाओं के बाद से, सऊदी अरब, रूस और ईरान जैसे तेल निर्यातक देशों ने प्लास्टिक उत्पादन पर किसी भी सीमा का कड़ा विरोध किया है, रचनात्मक बातचीत में बाधा डालने के लिए प्रक्रियात्मक असहमति सहित विभिन्न टालमटोल की रणनीति अपनाई है।





## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### संधि के समक्ष चुनौतियाँ

- संधि का निर्णय लेने का ढांचा विवाद का विषय बना हुआ है, राष्ट्रों को अभी भी इस बात पर आम सहमति नहीं बननी है कि निर्णय सर्वसम्मत से लिए जाने चाहिए या बहुमत से।
- **अमेरिकी मंतव्य:** “प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन (HAC),” जिसमें लगभग **65 देश** शामिल हैं, विशेष रूप से अफ्रीका और यूरोपीय संघ के अधिकांश देश, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए जोर दे रहे हैं, जैसे कि वर्ष 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना और समस्याग्रस्त एकल-उपयोग प्लास्टिक और हानिकारक रासायनिक योजकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।





## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### संधि के समक्ष चुनौतियाँ

- जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की प्रतिबद्धता का संकेत दिया है, यह लागू करने योग्य प्रतिबद्धताओं के बजाय स्वैच्छिक उपायों की वकालत करके गठबंधन की रणनीति से अलग है।





## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### संधि के समक्ष चुनौतियाँ

- तेल और गैस निगमों का विरोध: कुछ प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देश, जीवाश्म ईंधन और रासायनिक क्षेत्रों के समूहों के साथ, संधि के दायरे को केवल प्लास्टिक अपशिष्ट और पुनर्चक्रण तक सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- उद्योग हितों का प्रभाव: जीवाश्म ईंधन और रसायन कंपनियाँ संधि की संभावित प्रभावशीलता को कमजोर करने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रही हैं, जैसा कि इसमें शामिल अभूतपूर्व संख्या में लॉबिस्टों द्वारा प्रदर्शित किया गया है।





## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### संधि के समक्ष चुनौतियाँ

- ये उद्योग, जो जीवाश्म ईंधन से उत्पादित प्लास्टिक से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, उत्पादन सीमाओं का विरोध करते हैं और भ्रामक रूप से दावा करते हैं कि प्लास्टिक संकट केवल अपशिष्ट प्रबंधन का मुद्दा है, प्लास्टिक उत्पादन की मूल समस्या को पहचानने में विफल रहते हैं।





## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### भारतीय परिप्रेक्ष्य

- भारत के अनुसार, ऐसे प्रतिबंध 2022 में नैरोबी में पारित UNEA प्रस्ताव के दायरे से बाहर हैं।
- इसके अलावा, राष्ट्र ने किसी भी अंतिम समझौते के आवश्यक प्रावधानों के भीतर वित्तीय और तकनीकी सहायता, साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को शामिल करने की वकालत की है।





## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### भारतीय परिप्रेक्ष्य

- प्लास्टिक निर्माण में उपयोग किए जाने वाले खतरनाक रसायनों के बहिष्कार के संबंध में, भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि निर्णय वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित होने चाहिए, साथ ही कहा कि इन रसायनों के विनियमन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधित किया जाना चाहिए।





## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### भारतीय परिप्रेक्ष्य

- वर्ष 2022 में, भारत ने 19 श्रेणियों में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया।
- फिर भी, भारत ने संकेत दिया है कि अंतिम संधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक वस्तुओं को शामिल करने के संबंध में कोई भी निर्णय “व्यावहारिक” मानसिकता के साथ लिया जाना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि विनियमन राष्ट्रीय विचारों द्वारा निर्देशित होने चाहिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस





## प्लास्टिक प्रदूषण और वैश्विक प्लास्टिक संधि की भावी आवश्यकता

### भारतीय परिप्रेक्ष्य

- प्रभावी और सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, भारत अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की वकालत करता है।



# प्लास्टिक समस्या पर भारत के प्रयास



भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 प्लास्टिक के उपयोग को विनियमित करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।



साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित प्राकृत कार्यक्रम और EPR पोर्टल जैसी पहल प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को कारगर बनाती हैं।



भारत प्लास्टिक समझौता हितधारकों के बीच परिपत्र अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है, जबकि प्रोजेक्ट REPLAN प्लास्टिक कचरे को उपयोगी उत्पादों में बदल देता है।



इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ वातावरण और टिकाऊ प्रथाओं पर जोर देता है, जो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत के व्यापक दृष्टिकोण का पूरक है।





## Daily Current Affairs

### गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

#### सन्दर्भ:

- 24 नवंबर को नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1675 में औरंगजेब के आदेश पर उन्हें शहीद हो गए थे।
- दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा सीस गंज साहिब, गुरु तेग बहादुर की फांसी स्थल है।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा GS 1; ✓  
सामान्य अध्ययन पेपर 1: भारतीय इतिहास और संस्कृति

  
Result Mitra

21 अप्रैल 1621  
पिता गुरु हरगोबिन्द  
माता नानकी

स्रोत: द हिंदू



*Shaheedi Diwas*  
**GURU TEGH BAHADUR JI**





# गुरु तेग बहादुर के बारे में

## जन्म

- 21 अप्रैल, 1621 को अमृतसर में माता नानकी और गुरु हरगोबिंद के घर हुआ था, जो छठे सिख गुरु थे, जिन्हें मुगलों के खिलाफ सेना खड़ी करने और योद्धा संतों के विचार को पेश करने के लिए जाना जाता था।






# गुरु तेग बहादुर के बारे में

## प्रारम्भिक जीवन

- अपनी युवावस्था में, तेग बहादुर को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्याग मल के रूप में जाना जाता था।
- उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष अमृतसर में बिताए, जहाँ उन्होंने भाई गुरदास से गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, जबकि बाबा बुढ़ा ने उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी कौशल का प्रशिक्षण दिया।






# गुरु तेग बहादुर के बारे में

## प्रारम्भिक जीवन

- 13 वर्ष की आयु में, उन्होंने एक मुगल सरदार के साथ टकराव में अपना नाम बनाया, तलवार के साथ उल्लेखनीय बहादुरी और कौशल का प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें तेग बहादुर कहा जाने लगा।
- 1632 में, उन्होंने करतारपुर में माता गुजरी से विवाह किया और बाद में अमृतसर के पास बकाला चले गए।





वंशानुगत

चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास के बाद, गुरु पद वंशानुगत हो गया। तेग बहादुर के बड़े भाई गुरदित्त की असामयिक मृत्यु के बाद, गुरु पद उनके 14 वर्षीय बेटे गुरु हर राय को 1644 में सौंप दिया गया। उन्होंने 1661 में 31 वर्ष की आयु में अपने निधन तक इस पद को संभाला।

गुरु हर राय के बाद उनके पाँच वर्षीय बेटे गुरु हर कृष्ण ने पदभार संभाला, जिनका दुभाग्य से 1664 में आठ वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही दिल्ली में निधन हो गया।

नौवें सिख गुरु बनने की यात्रा

ऐसा बताया जाता है कि जब उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपने दादाजी का जिक्र करते हुए “बाबा बकाला” नाम का उल्लेख किया।

गुरु तेग बहादुर ने बकाला में अपने निवास में एक ‘भोरा’ (तहखाना) बनवाया था, जहाँ वे अपना अधिकांश समय ध्यान में लगाते थे। प्राचीन भारतीय परंपरा में, ‘भोरा’ को उनके ध्वनिरोधी स्वभाव और स्थिर तापमान के कारण ध्यान के लिए आदर्श स्थान माना जाता था।

फलस्वरूप गुरु हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु के बाद गुरु तेग बहादुर जी को नौवां गुरु माना गया।



## Daily Current Affairs

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा GS 1;  
सामान्य अध्ययन पेपर 1: भारतीय इतिहास और संस्कृति



## गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

### शिक्षा व योगदान :

- गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं ने सत्य पर आधारित जीवन जीने, उच्च नैतिक सिद्धांतों का पालन करने और मानवाधिकारों की रक्षा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने 115 भजन लिखे, जो सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा हैं।

हिंदू की याद

स्रोत: द हिंदू





## Daily Current Affairs

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा GS 1;  
सामान्य अध्ययन पेपर 1: भारतीय इतिहास और संस्कृति



## गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

### शिक्षा व योगदान :

- उनके भजन सांसारिक संपत्ति से अलगाव और ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं।
- वंचितों की रक्षा करने के कारण उन्हें अक्सर 'हिंद की चादर' (भारत की ढाल) कहा जाता है।
- उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह ने दसवें सिख गुरु के रूप में उनका अनुसरण किया और न्याय को बढ़ावा देने की उनकी विरासत को आगे बढ़ाया।

स्रोत: द हिंदू





## Daily Current Affairs

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा GS 1;  
सामान्य अध्ययन पेपर 1: भारतीय इतिहास और संस्कृति



## गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

### शहीदी दिवस

- उन्होंने मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया। इसी क्रम में वर्ष 1665 में, उन्होंने अपना मुख्यालय उस स्थान पर स्थापित किया जिसे अब आनंदपुर साहिब कहा जाता है।
- जब उन्होंने मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित किया, तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। उनके कार्यों को 116 गीतात्मक भजनों में संग्रहित किया गया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब नामक पवित्र पुस्तक में पाए जाते हैं।

स्रोत: द हिंदू





## Daily Current Affairs

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा GS 1;  
सामान्य अध्ययन पेपर 1: भारतीय इतिहास और संस्कृति



## गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

### शहीदी दिवस

- उन्होंने अहोम के शासक के साथ युद्ध विराम के लिए बातचीत करने में राजा राम सिंह की सहायता की।
- इस शांति समझौते को ब्रह्मपुत्र के तट पर गुरुद्वारा धुबरी साहिब में याद किया जाता है।
- जब उन्होंने वर्ष 1675 में इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया, तो औरंगज़ेब ने उनकी सार्वजनिक मृत्यु का आदेश दिया।

स्रोत: द हिंदू



## Daily Current Affairs

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा GS 1;  
सामान्य अध्ययन पेपर 1: भारतीय इतिहास और संस्कृति



## गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

### शहीदी दिवस

- उनकी शहादत के कारण, सभी सिख पंथ मानवाधिकारों की रक्षा को अपनी सिख पहचान का एक मुख्य घटक बनाने के लिए एक साथ आए।
- उनके नौ वर्षीय बेटे, गुरु गोबिंद सिंह जी, उनसे प्रेरित हुए और अंततः सिख समुदाय को एक औपचारिक, प्रतीक-पैटर्न वाले समुदाय में एकीकृत किया, जिसे 'खालसा' के रूप में जाना जाता है।

स्रोत: द हिंदू





## छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

### संदर्भ:


- महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार विपक्ष का नेता नहीं होगा; बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से 233 सीटें ने 233 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया, जबकि विपक्षी दल आवश्यक 28 सीटों का मानदंड पूरा नहीं कर सके।

288-111 विधानसभा

Opp- Leader of Opposition

Disclaimer: ECI is displaying the information as being filled in the system by the Returning Officers from their respective Counting Centres. The final data for each AC/PC will be shared in Form-20.


## General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results November-2024 Maharashtra




### Party Wise Results

Party	Won	Leading	Total
Bharatiya Janata Party - BJP	132	0	132
Shiv Sena - SHS	57	0	57
Nationalist Congress Party - NCP	41	0	41
Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) - SHSUBT	20	0	20
Indian National Congress - INC	16	0	16
Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar - NCPSP	10	0	10
Samajwadi Party - SP	2	0	2
Jan Surajya Shakti - JSS	2	0	2
Rashtriya Yuva Swabhiman Party - RSHYVSWBHM	1	0	1
Rashtriya Samaj Paksha -	1	0	1



### Constituency Wise Results



### Party Wise Results



### Party Wise Vote Share







## छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

### प्रमुख बिंदु:

- महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार छह दशकों में विपक्ष का नेता (LoP) नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी दलों के पास पर्याप्त संख्या में विधायक नहीं हैं।
- विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी पार्टी के पास कम से कम 28 विधायक होने चाहिए, जो किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं है।
- कांग्रेस के पास 16, एनसीपी के पास 10, और शिवसेना के पास 21 सीटें हैं।



## छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

### प्रमुख बिंदु:

- महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं।
- बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें जीतीं, और उपमुख्यमंत्री के गुट ने 41 सीटें हासिल कीं।
- ये आंकड़े 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए अंतिम आंकड़ों पर आधारित हैं।





छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

भारत में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition - LoP)

- विपक्ष के नेता का पद भारत की संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पद उस नेता को दिया जाता है जो संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में सरकार का विरोध करने वाले सबसे बड़े दल का नेतृत्व करता है। हालांकि, इसे केवल तभी मान्यता दी जाती है जब वह दल सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% हासिल करता है।



# विपक्ष के नेता का इतिहास और कानूनी स्थिति

- भारतीय संविधान में विपक्ष के नेता का सीधा उल्लेख नहीं किया गया है।
- यह पद औपचारिक रूप से 1977 में बनाए गए Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act के तहत स्थापित हुआ।
- इस अधिनियम के अनुसार, सदन का पीठासीन अधिकारी उस विपक्षी पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता (LoP) मान्यता देता है, जिसकी उस सदन में सरकार के खिलाफ सबसे अधिक संख्या हो।

Sar





# विपक्ष के नेता का इतिहास और कानूनी स्थिति

- दोनों सदनों के (पीठासीन अधिकारियों) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए उस सदन की (कुल सदस्यता का न्यूनतम एक-दसवां) (10%) होना अनिवार्य है।
- इसका मतलब है कि केवल वही राजनीतिक पार्टी, जिसके पास (सदन की कुल सदस्यता का कम से कम) 10% हो, उसका नेता 'विपक्ष का नेता' बनने के लिए पात्र होगा।





## विपक्ष के नेता का इतिहास और कानूनी स्थिति

- यदि सरकार के खिलाफ दो या अधिक पार्टियों के पास समान संख्या में सदस्य हों, तो पीठासीन अधिकारी इनमें से किसी भी पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता मान्यता दे सकता है।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई मान्यता अंतिम और निर्णायक होगी।
- लोकसभा में पहली बार विपक्ष के नेता का पद 1969 में अस्तित्व में आया, जब कांग्रेस (ओ) के नेता राम सुभग सिंह को यह पद मिला।



# विपक्ष के नेता की भूमिका और कार्य

1. सरकार के कार्यों और नीतियों की जांच कर यह सुनिश्चित करना कि कोई भी विधेयक या नीति लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक हित के खिलाफ न हो।
2. सरकार की आलोचना के साथ-साथ निर्णयों के वैकल्पिक सुझाव और नीतियां प्रस्तुत करना।
3. संसद की बहसों और चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हुए महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष का दृष्टिकोण स्पष्ट करना।

विपक्ष के नेता  
की चुनौतियां

आखर जेनिंग्स

वैकल्पिक सुझाव





## विपक्ष के नेता की भूमिका और कार्य

4. लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार के कामकाज पर संतुलन बनाए रखना।
5. वैकल्पिक सरकार के रूप में तैयार रहना, यानी आवश्यकता पड़ने पर सरकार बनाने की क्षमता रखना। इसी भूमिका के कारण आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को 'वैकल्पिक प्रधानमंत्री' कहा।
6. सरकार और विपक्ष के बीच संचार का माध्यम बनना और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति स्थापित करने का प्रयास करना।







छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता की स्थिति

### 1. लोकसभा में विपक्ष का नेता

- लोकसभा में विपक्ष का नेता उस दल का प्रमुख होता है जो सरकार में नहीं है और जिसे लोकसभा के स्पीकर द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- इस समय, अगर किसी विपक्षी दल के पास लोकसभा में 55 सीटें (543 सीटों का 10%) नहीं हैं, तो विपक्ष का नेता नहीं हो सकता।

55/543





छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता की स्थिति

## 2. राज्यसभा में विपक्ष का नेता

- राज्यसभा में विपक्ष का नेता उस दल का प्रमुख होता है जिसे राज्यसभा के चेयरमैन (उपराष्ट्रपति) द्वारा मान्यता दी जाती है।
- यह पद भी सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल को दिया जाता है, बशर्ते कि वह 10% सीटों का मानदंड पूरा करता हो।





छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

### विपक्ष के नेता का महत्व

#### 1. लोकतंत्र की मजबूती

- विपक्ष के नेता एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं।
- यह पद सरकार और विपक्ष के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है।





छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

विपक्ष के नेता का महत्व

2. पारदर्शिता और जवाबदेही

- सरकार के निर्णयों और नीतियों को पारदर्शी बनाने में विपक्ष के नेता की अहम भूमिका होती है।





छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

विपक्ष के नेता का महत्व

### 3. संसद में आवाज

- यह सुनिश्चित करते हैं कि संसद में केवल सरकार की नीतियां नहीं चलें, बल्कि सभी वर्गों की आवाज सुनाई दे। ✓
- विपक्ष के नेता अल्पसंख्यकों और उन लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं जिन्होंने सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी चिंताओं को संसद में सुना जाए।





## छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

### विपक्ष के नेता का महत्व

- 4. विपक्ष के नेता सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यों की औपचारिक रूप से जांच करते हैं, जिससे सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- 5. वैकल्पिक नीतियों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करके, विपक्ष के नेता विधायी मामलों पर विस्तृत और समृद्ध बहस में योगदान करते हैं, जिससे नागरिकों को विभिन्न शासन विकल्प मिलते हैं।





छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

### विपक्ष के नेता का महत्व

- 6. विपक्ष के नेता यह सुनिश्चित करते हैं कि संसदीय प्रक्रियाओं का पालन किया जाए और बहसों और चर्चाओं के दौरान सदन में शिष्टाचार बनाए रखा जाए।



छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

### अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

- भारत में विपक्ष का नेता, ब्रिटेन की संसद के "Her Majesty's Loyal Opposition" की तर्ज पर है।
- अमेरिका में इसे "माइनॉरिटी लीडर" कहा जाता है, जो दोनों सदनों (सीनेट और प्रतिनिधि सभा) में होता है।





## छह दशकों में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं

### निष्कर्ष:

- भारत में विपक्ष के नेता लोकतंत्र के संतुलन और जवाबदेही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना और वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत कर सदन में सार्थक बहस को प्रोत्साहित करते हैं। यह पद लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और नागरिकों की आवाज़ सुनिश्चित करता है।



प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

चर्चा में क्यों :

- रजिनीकांत ने एमजी रामचंद्रन की पत्नी वी.एन. जानकी की सराहना की, जिन्होंने उनके निधन के बाद एआईएडीएमके को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- साथ ही पार्टी के विभाजन के कारण स्थगित हुई एआईएडीएमके के 'दो पत्तियाँ' प्रतीक को पुनः प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।



स्रोत: द स्टेट्समैन





## प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

### चर्चा में क्यों :

- एआईएडीएमके के विभाजन के बाद दो गुट बन गए, एक गुट जानकी द्वारा और दूसरा जयललिता द्वारा नेतृत्व किया गया, और दोनों गुटों ने 1989 के चुनावों में अलग-अलग प्रतीकों के तहत चुनाव लड़ा।
- 1989 के चुनावों में, डीएमके ने जीत हासिल की, और जानकी गुट हार गया, जिसे कोई सीट नहीं मिली, जबकि जयललिता गुट ने 27 सीटें जीतीं।



## प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

### चुनाव चिह्न क्या है?

- चुनाव चिह्न एक ऐसा प्रतीक है जो राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को उनके प्रचार और मतदान प्रक्रिया में पहचान देने के लिए आवंटित किया जाता है।
- यह प्रणाली विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए उपयोगी है जो पढ़-लिख नहीं सकते। चुनाव चिह्न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर प्रदर्शित होते हैं, जिससे मतदाता अपनी पसंद की पार्टी के प्रतीक पर वोट कर सकते हैं।





## प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

### चुनाव चिह्न क्या है?

- 1960 के दशक में यह प्रस्ताव रखा गया कि चुनाव चिह्नों का विनियमन, आरक्षण और आवंटन संसद के एक कानून के तहत किया जाए, जिसे "सिम्बल ऑर्डर" कहा गया।
- इसके जवाब में, चुनाव आयोग (ECI) ने कहा कि राजनीतिक दलों की मान्यता और चिह्नों का आवंटन चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार होता है।



प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

## चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया

### 1. चुनाव आयोग की जिम्मेदारी

- चुनाव चिह्नों का आवंटन भारत का चुनाव आयोग (ECI) करता है।
- यह कार्य चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत किया जाता है।
- ECI भारत के राजपत्र में मान्यता प्राप्त दलों और उनके चिह्नों की सूची प्रकाशित करता है।





प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

### चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया

#### 1. चुनाव आयोग की जिम्मेदारी

वर्तमान में:

- 6 राष्ट्रीय दल। ✓
- 26 राज्य स्तरीय दल। ✓
- 2,597 पंजीकृत, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं। ✓

## 2. चिह्नों का वर्गीकरण

### आरक्षित चिह्न

- यह केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के लिए होते हैं।

### मुक्त चिह्न

- यह गैर-मान्यता प्राप्त या नए पंजीकृत दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होते हैं।



## 3. मान्यता प्राप्त दल

- यदि कोई दल राष्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त करता है, तो उसे एक विशिष्ट चुनाव चिह्न आवंटित किया जाता है।

- एक बार चिह्न आवंटित होने के बाद, वह चिह्न किसी अन्य दल को नहीं दिया जा सकता।


## 4. गैर-मान्यता प्राप्त दल

- गैर-मान्यता प्राप्त दल या स्वतंत्र उम्मीदवार केवल "मुक्त चिह्नों" में से चयन कर सकते हैं।


- ये चिह्न अस्थायी रूप से उनके लिए उपयोग होते हैं और चुनाव के बाद पुनः "मुक्त" हो जाते हैं।




## 5. चुनाव चिह्न का चयन और प्रस्ताव



- नए दलों को ECI द्वारा अधिसूचित 'मुक्त चिह्न' की सूची से 10 चिह्नों की प्राथमिकता सूची देनी होती है।



- वे 3 नए अद्वितीय चिह्न भी प्रस्तावित कर सकते हैं, जिनका कोई धार्मिक, साम्प्रदायिक अर्थ या पक्षी/जानवर का चित्रण नहीं होना चाहिए।



- ECI इन प्रस्तावों पर विचार कर सकता है और यदि कोई आपत्ति नहीं हो, तो इसे स्वीकृति दी जाती है।




## प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

### दल विभाजन और विवाद समाधान प्रक्रिया

#### 1. पैरा 15 का प्रावधान

- यदि किसी मान्यता प्राप्त दल में विभाजन होता है, तो चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 का पैरा 15 लागू होता है।
- ECI विभाजन के दौरान दोनों गुटों की दावेदारी पर विचार करता है और तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर निर्णय करता है।







प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

दल विभाजन और विवाद समाधान प्रक्रिया

2. ECI द्वारा उपयोग किए जाने वाले मापदंड

ECI निम्नलिखित तीन परीक्षण करता है:

- दल के संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य: किस गुट का दृष्टिकोण पार्टी के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है।
- दल संविधान की वैधता: पार्टी के भीतर का वैधानिक ढांचा और उसकी प्रासंगिकता।



प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

दल विभाजन और विवाद समाधान प्रक्रिया

2. ECI द्वारा उपयोग किए जाने वाले मापदंड

बहुमत का समर्थन:

- सांसदों, विधायकों, और पार्टी प्रतिनिधियों के बहुमत का समर्थन।
- यदि यह बहुमत स्पष्ट न हो, तो पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (MPs/MLAs) की संख्या का आकलन किया जाता है।





प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

दल विभाजन और विवाद समाधान प्रक्रिया

### 3. चिह्न विवाद का निपटारा

- यदि दोनों गुट किसी निर्णायक बहुमत तक नहीं पहुंच पाते, तो ECI उस चिह्न को "फ्रीज" कर देता है।
- दोनों गुटों को नए चिह्न चुनने के लिए कहा जाता है।





प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

दल विभाजन और विवाद समाधान प्रक्रिया

#### 4. गैर-मान्यता प्राप्त दलों का विभाजन

- यदि विभाजन किसी गैर-मान्यता प्राप्त दल में होता है, तो ECI उन्हें आंतरिक समाधान खोजने या अदालत का सहारा लेने की सलाह देता है।





प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

दल विभाजन और विवाद समाधान प्रक्रिया

### 5. 1997 के बाद का नियम

- विभाजित समूह, जो मूल दल का चिह्न नहीं प्राप्त कर पाता, उसे एक नया दल पंजीकृत करना होता है।
- मान्यता प्राप्त करने के लिए, उन्हें चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर पात्रता साबित करनी होती है।



प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

दल विभाजन और विवाद समाधान प्रक्रिया

5. 1997 के बाद का नियम

चुनाव चिह्न विवाद के ऐतिहासिक मामले

● सादिक अली मामला (1971)

- यह मामला दल विभाजन और चिह्न विवाद के लिए ECI के मापदंड तय करने का प्रमुख आधार बना।
- इसके आधार पर तीन परीक्षणों की प्रणाली विकसित की गई।





प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

दल विभाजन और विवाद समाधान प्रक्रिया

हाल के विवाद

- शिवसेना, अन्नाद्रमुक, और अन्य दलों में हुए विभाजनों ने चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया की अहमियत को और बढ़ा दिया है।



## प्रतीक 'दो पत्तियाँ' एआईएडीएमके का ब्रह्मास्त्र है

### निष्कर्ष

- चुनाव चिह्नों की प्रणाली भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। यह न केवल दलों की पहचान सुनिश्चित करती है, बल्कि विभाजन और विवाद की स्थिति में भी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखती है।





### भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन

- भारत का पहला संविधान संग्रहालय 23 नवंबर, 2024 को हरियाणा के सोनीपत स्थित ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा “भारतीय संविधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन” के दौरान उद्घाटित किया गया।



# देश के पहले संविधान

## संग्रहालय का उद्घाटन







## भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन

### संविधान के 75 वर्षों का उत्सव

- यह संग्रहालय संविधान की स्वीकृति के 75 वर्षों का प्रतीक है और इसके निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
- यह इंटरएक्टिव और प्रभावशाली अनुभवों के माध्यम से संविधान की यात्रा और उसके प्रभाव को उजागर करता है।



## भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन

### तकनीकी और शैक्षिक नवाचार

- संग्रहालय में एआई-संचालित गाइडेड टूर, 3डी इंस्टॉलेशन और इंटरएक्टिव डिस्प्ले जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। इसे आईआईटी मद्रास और तकनीकी विशेषज्ञता केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है।





### भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन

#### संग्रहालय की प्रमुख विशेषताएं

- यह संग्रहालय संविधान सभा पर प्रदर्शनी, हम भारत के लोग जैसी मूर्तियां और स्वतंत्रता, न्याय और समानता जैसे संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित सामग्री प्रदर्शित करता है।



### भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन

#### संग्रहालय की प्रमुख विशेषताएं

##### संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा देना

- सभी नागरिकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, यह संग्रहालय संवैधानिक ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाता है।

##### संविधान दिवस

- 26 नवंबर 1949, यह वो तारीख है, जब स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए. इस दस्तखत के साथ इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया. यही वजह है कि इस तारीख को 'संविधान दिवस' (Constitution Day) घोषित किया गया.